कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई।

पत्रांकः– एस0एस0ए0/ए0आर0पी0 चयन/ 24313-18 /2026–27 दिनांकः 2011-26

विज्ञप्ति

शासनादेश सं0–68–5099/375/2025 अनुभाग–5 (बेसिक शिक्षा) दिनांक 15 जून 2026 द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन के क्रम में प्रति विकासखण्ड 05 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पदों पर चयन हेतु बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के नियंत्रणाधीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को उक्त शासनादेश में दिये प्रतिबन्धों के अधीन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक– 30 नवम्बर 2026 को सायं 05 बजे तक ही कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई (पिनकोड– 241001) के पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे जायेंगें। निर्धारित समय के पश्चात् एवं अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र विचार नहीं किया जायेगा। ए0आर0पी0 पद हेतु योग्यता, अनुभव व अन्य प्रतिबन्ध उपरोक्त शासनादेश के अनुसार लागू होगें।

जनपद हरदोई में ए0आर0पी0 के रिक्त पदों का विवरण।

क0सं0	खण्ड का नाम	कार्यरत	रिक्त	योग
1	अदिसरी	4	1	5
2	सुरसा	5	0	5
3	बावन	4	1	5
4	टड़ियावां	4	1	5
5	हरियावाँ	2	3	5
6	साण्डी	5	0	5
7	बिलग्राम	4	1	5
8	माधोगंज	4	1	5
9	भल्लावाँ	3	2	5
10	हरपालपुर	1	4	5
11	अजीमनी	3	2	5
12	शाहाबाद	1	4	5
13	टोंडरपुर	2	3	5
14	पिहानी	3	2	5
15	सण्डीला	5	0	5
16	कछौना	4	1	5
17	कोथावाँ	2	3	5
18	भरावन	4	1	5
19	बेहंदा	4	1	5
20	नगर क्षेत्र हरदोई	0	5	5
	योग	64	36	100

आवेदन प्रारूप का प्रारूप www.hardoi.nic.in वेबसाइट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, समस्त ब्लाक संसाधन केन्द्रों/नगर संसाधन केन्द्र के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण सूचनापट पर चस्पा है।

(प्रभात मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हरदोई।

पृ0सं0:– एस0एस0ए0/ए0आर0पी0 चयन/ 24313-18 /2026–27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, महोदय, हरदोई।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया, हरदोई।
4. प्राचार्य, डायट, हरदोई।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
6. जिला सूचना अधिकारी, हरदोई।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हरदोई।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हरदोई।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
हरदोई।

पत्रांकः–एस0एस0ए0/ 24 307-12 /2026–27 दिनांकः 20/1/26

विषयः–ए0आर0पी0 चयन प्रक्रिया हेतु विज्ञप्ति जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–68–5099/375/2025 अनुभाग–5 (बेसिक शिक्षा) दिनांक 15 जून 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद में ए0आर0पी0 चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि ए0आर0पी0 चयन हेतु विज्ञप्ति को जनपद की बेवसाइट **Hardoi.nic.in** पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय

(प्रभात मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हरदोई।

पृ0सं0:– एस0एस0ए0/ 24 307-12 /2026–27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, महोदया, हरदोई।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया, हरदोई।
4. प्राचार्य, डायट, हरदोई।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), षष्ठ मण्डल, लखनऊ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हरदोई।

Scanned with OKEN Scanner

ए0आर0पी0 पद हेतु आवेदन–पत्र

शासनादेश संख्या–68–5099/375/2025 अनुभाग–5 (बेसिक शिक्षा) दिनांक 15.06.2026 के अन्तर्गत

जनपद– हरदोई।

आवेदित विकासखण्ड–

आवेदित पद का नाम .....

नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करें (बी0ई0ओ0 द्वारा प्रमाणित)

1. आवेदनकर्ता का नाम (अंग्रेजी में).....
2. आवेदनकर्ता का नाम (हिन्दी में).....पद.....
3. कार्यरत विद्यालय एवं विकासखण्ड का नाम.....
4. पिता का नाम.....
5. जाति.....वर्ग.....लिंग.....
6. जन्म तिथि (हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) तिथि ..... माह ..... दिन .....
7. (अ) पत्र व्यवहार का पता.....

.....

(ब) स्थाई पता.....

.....

(स) मूल वेतन..... प्रथम नियुक्ति तिथि.....पदोन्नति तिथि..... पद.....

.....

(द) अवशेष सेवाकाल.....सेवानिवृत्ति तिथि.....फोन/मो0नं0.....ईमेल.....

8. शैक्षिक योग्यता का विवरण–

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय		वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	अभियुक्ति
हाईस्कूल								
इण्टरमीडिएट								
स्नातक								
परास्नातक								
बी0टी0सी0/ वि0बि0टी0सी0		लिखित प्रायोगिक						

9. शिक्षण अनुभव वर्ष..... माह..... दिन..... (विज्ञापन तिथि से)

Scanned with OKEN Scanner

कृपया पृष्ठ 02 पर

घोषणा

मैं..... पद..... विद्यालय..... ब्लाक..... कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई की विज्ञप्ति संख्या..... के अन्तर्गत विकासखण्ड–..... में रिक्त ए0आर0पी0 पद हेतु आवेदन कर रहा हूँ। मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि यदि उपरोक्त पद हेतु अर्ह पाया जाता/जाती हूँ तो मुझे विभाग द्वारा निर्धारित समस्त शर्तें स्वीकार होगी। मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि उपयुक्त विवरण पूर्ण रूप से सत्य है। ए0आर0पी0 पद पर चयन के पूर्व अथवा पश्चात् जांचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य अथवा कूटरचित पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन आवेदन तिथि से स्वतः निरस्त माना जाये। मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त पद पर स्थायी रूप से मेरा कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

दिनांक–

आवेदन के हस्ताक्षर व नाम

खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पद..... विद्यालय..... इनकी कुल सेवा अवधि वर्ष ..... माह..... है, इनकी सेवानिवृत्ति में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा शेष है। इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की जांच गतिमान नहीं है और न ही पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। आवेदन पत्र में वर्णित विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

दिनांकः–

हस्ताक्षर
खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकासखण्ड.....
हरदोई।

Scanned with OKEN Scanner

I/1358920/2026

1029169/2025 अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा)-Basic Education Department

1636 BSA

DEO

कृ०नि०आ०का०करें।

B.S.A 17-06-2026

जिलाधिकारी, हरदोई 16.06.2026

323 17/6/26

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
2- जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 15 जून, 2026

विषयः समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत जनपदों में प्रति विकासखण्ड पर 06 अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ए.आर.पी.) की व्यवस्था की गयी है, जिसमें ए०आर०पी० के चयन, कार्यकाल, वेतन आहरण, कार्य एवं दायित्व आदि के संबंध में सुसंगत निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-2847/68-5-2022 दिनांक 05 जनवरी, 2023 एवं शासनादेश संख्या-I/766793/2024-68-5099/143/2024 दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 द्वारा ए०आर०पी० के कार्यकाल विस्तार के संबंध में सुसंगत निर्देश निर्गत किये गये हैं। अग्रेतर शासनादेश संख्या-I/1029169/2025-68-5099/375/2025, दिनांक 18 जुलाई, 2025 द्वारा ए०आर०पी० एवं एस०आर०जी० के क्षमता संवर्द्धन, मोबिलिटी भत्ते की संशोधित दरों के निर्धारण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के संबंध में भी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ए०आर०पी० के चयन, कार्यकाल वृद्धि एवं क्षमता संवर्द्धन आदि के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये निम्नवत् नवीन व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. **ए०आर०पी० पुनर्गठन की व्यवस्था व संरचनाः-**
   1) प्रत्येक विकासखण्ड में 06 अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (Academic Resource Persons) होंगे, जिनमें से 05 अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (ए०आर०पी०) का चयन **बिन्दु-2** में वर्णित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित विकासखण्ड के लिये नामित 01 डायट मेण्टर पदेन ए०आर०पी० के रूप में कार्य करेंगे।
   2) प्रदेश के समस्त विकासखण्डों एवं नगर संसाधन केन्द्रों में 05 ए०आर०पी० (प्रति विकासखण्ड एवं नगर संसाधन केन्द्र) का चयन किया जायेगा।

2. **चयन प्रक्रिया :-** ए०आर०पी० का चयन जनपद स्तर पर निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। तत्संबंधी निर्देश निम्नवत् हैं :-

   a) ए०आर०पी० के चयन हेतु अर्हता- ए०आर०पी० के चयन हेतु निम्नलिखित अर्हताधारी परिषदीय शिक्षक अर्ह होंगे :-

   I. स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता।

II. परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 05 वर्ष का शिक्षण अनुभव।
III. सेवानिवृत्त होने में न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि शेष हो।
IV. किसी भी प्रकार की जांच गतिमान न हो और न ही पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोष सिद्ध हुआ हो।

b) विज्ञापन :-

अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के चयन हेतु न्यूनतम 02 प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति में विकासखण्डवार रिक्तियों की संख्या का उल्लेख करते हुये विकासखण्डवार आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

c) जनपद स्तरीय चयन समिति का गठन:-

ए०आर०पी० के चयन हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् चयन समिति गठित की जाती है :-

1.	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
3.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन / प्रशिक्षण)	सदस्य-सचिव
5.	वरिष्ठतम खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य

उपर्युक्तानुसार गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा ए०आर०पी० चयन के संबंध में जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

d) चयन समिति के कार्य:-

1) आवेदन पत्रों की जांच कर अर्हता / अनर्हता का निर्धारण करना।
2) लिखित परीक्षा का आयोजन।
3) साक्षात्कार का आयोजन।
4) समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में न्यूनतम 01 वर्ष के लिये सुरक्षित रखा जाना।

e) लिखित परीक्षा हेतु मूल्यांकन समिति :-

लिखित परीक्षा आयोजित कराये जाने के लिये प्रश्न-पत्रों के निर्माण एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु राजकीय इण्टर कॉलेज/ राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज के शिक्षक तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ता को सम्मिलित करते हुये मूल्यांकन समिति गठित की जायेगी।

f) चयन हेतु मापदण्ड :-

ए०आर०पी० के चयन हेतु निम्नवत् अंक निर्धारित किये जाते हैं:-

क्रम	विवरण	अंक
1	लिखित परीक्षा	70 अंक
2	साक्षात्कार (विषयगत जानकारी, स्व-प्रेरण, नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता, प्रारम्भिक शिक्षा के प्रति विजन आदि)	30 अंक
	कुल योग	100 अंक

Scanned with OKEN Scanner

- लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिये अर्ह होंगे।
- लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
- साक्षात्कार सम्पन्न होने के 02 दिवस के अन्दर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।
- चयनित ए०आर०पी० का पदस्थापन विज्ञापन में उल्लिखित विकासखण्ड में रिक्ति के सापेक्ष किया जायेगा तथा इनका कार्यक्षेत्र संबंधित विकासखण्ड होगा।
- चयन के उपरान्त पद रिक्त रह जाने की स्थिति में उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनः चयन प्रक्रिया अमल में लायी जायेगी।
- अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन के संबंध में प्राप्त शिकायत अथवा विवाद के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाता है तथा इस संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

3. **ए०आर०पी० का कार्यकाल एवं नवीनीकरणः-**

1) ए०आर०पी० का कार्यकाल 01 वर्ष हेतु निर्धारित होगा। जनपदीय चयन समिति द्वारा ए०आर०पी० के कार्यों का प्रत्येक वर्ष परफॉरमेंस अप्रेजल किया जायेगा। संतोषजनक कार्य एवं व्यवहार होने की दशा में जनपदीय चयन समिति द्वारा ए०आर०पी० का आगामी वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जायेगा। ए०आर०पी० के कार्यकाल की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी। ए0आर0पी0 के रूप में अधिकतम 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स भविष्य में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयन के लिए अनर्ह होंगे। परन्तु यदि समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केन्द्रों पर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु निर्धारित पद के सापेक्ष कम आवेदन प्राप्त होता है तो इस स्थिति में 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स द्वारा पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

2) प्राचार्य, डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विकासखण्ड के मेण्टर द्वारा संयुक्त रूप से ए०आर०पी० के वार्षिक कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन (Performance Appraisal) करते हुये जनपदीय चयन समिति के समक्ष तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

3) ए०आर०पी० के वार्षिक मूल्यांकन (Performance Appraisal) के संबंध में सुसंगत के०पी०आई० राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

4. **ए०आर०पी० के वेतन आहरण की व्यवस्थाः-**

ए०आर०पी० का वेतन मूल कार्यरत विद्यालय से आहरित किया जायेगा तथा वेतन में कोई अन्य वृद्धि नहीं की जायेगी। ए०आर०पी० के रूप में किये गये कार्यों के प्रति ए०आर०पी० को यात्रा भत्ता एवं टी०एल०एम० के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का मानदेय आदि देय नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

5. **अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के कार्य एवं दायित्व :-**

1) ए०आ०पी० की कार्यावधि मुख्यतः विद्यालय समयावधि तक होगी। कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत विद्यालय समयावधि के उपरान्त ही ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर जा सकेंगे।

2) प्रत्येक ए०आर०पी० द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 30 यूनीक विद्यालयों (के०जी०बी०वी० में अधिकतम 02 बार) का प्रेरणा गुणवत्ता ऐप के माध्यम से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित चेकलिस्ट संबंधी वास्तविक डेटा ऐप पर भरा जायेगा। राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा यथावश्यकतानुसार प्रेरणा पोर्टल पर चेकलिस्ट अद्यावधिक किये जाने के संबंध में सुसंगत निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

3) ए०आर०पी० द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं छात्र-छात्राओं की सक्रिय सहभागिता का अवलोकन किया जायेगा तथा रैण्डम आधार पर 05 छात्र-छात्राओं का स्पॉट एसेसमेण्ट किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पाठ्यकम के अनुरूप आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री (टी०एल०एम०) का प्रदर्शन (Demonstration) एवं मॉडल क्लास का संचालन भी किया जायेगा।

4) ए०आर०पी० द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान विद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों यथा-प्रार्थना सभा, बैठक व्यवस्था, शैक्षिक कैलेण्डर का अनुपालन, समय सारिणी का प्रयोग, प्रत्येक माह कक्षावार एवं विषयवार वार्षिक पाठ्यक्रम का उल्लिखित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण किया जाना, उत्कृष्ट टी०एल०एम० तथा 'तालिका' एवं निपुण+ ऐप के प्रयोग के संबंध में प्रस्तुतीकरण, पुस्तकालय संचालन, खेलकूद आदि का अवलोकन तथा शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान किया जायेगा।

5)राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार ए०आर०पी० द्वारा विभिन्न प्रशिक्षणों में संदर्भदाता के रूप में प्रतिभाग किया जायेगा।

6) ए०आर०पी० द्वारा आगामी एक माह की कार्ययोजना एवं भ्रमण कार्यकम जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन/प्रशिक्षण) के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य, डायट को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा तथा कार्ययोजना के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। यह कार्ययोजना स्पॉट एसेसमेण्ट एवं निपुण विद्यालय आंकलन तथा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं निपुण भारत मॉनीटरिंग सेण्टर (एन०बी०एम०सी०) से प्राप्त डेटा के विश्लेषण के उपरान्त तैयार की जायेगी। मासिक कार्ययोजना के आधार पर ए०आर०पी० द्वारा उपलब्धि आख्या आगामी माह की 05 तारीख तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

7) सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों एवं प्रासंगिक मुद्दों यथा लैंगिक समता, जीवन कौशल, पर्यावरण संवेदना, सड़क सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, बैगलेस डेज एवं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आदि के संबंध में शिक्षकों से चर्चा की जायेगी तथा शिक्षकों को यथावश्यकतानुसार फीडबैक प्रदान किया जायेगा।

8) सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा किये जा रहे नवाचारों एवं उत्कृष्ट शिक्षण-अधिगम प्रयासों का अभिलेखीकरण करते हुये संकलित सूचना जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित की जायेगी। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नवाचारों एवं बेहतर शिक्षण अधिगम प्रयासों को संकलित कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

9) 'दीक्षा' ऐप, 'पी०एम०ई० विद्या, खान एकेडमी एवं 'दि टीचर ऐप' पर शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध डिजिटल शिक्षण सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। ऐप पर

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री, ऑडियो-विजुअल एवं विषयवस्तु को आत्मसात करते हुये कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग के माध्यम से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक एवं आनन्ददायक बनाये जाने के लिये शिक्षकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा।

10) ए०आर०पी० द्वारा प्रत्येक माह आयोजित होने वाली खण्ड शिक्षा अधिकारी-प्रधानाध्यापक बैठक एवं 01 शिक्षक संकुल बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा तथा उत्कृष्ट शैक्षिक प्रथाओं एवं नवाचारों के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। इसके साथ ही निपुण भारत मॉनीटरिंग सेण्टर (एन०बी०एम०सी०) से प्राप्त डेटा आधारित चर्चा एवं विश्लेषण करते हुये विद्यालय स्तरीय अकादमिक उपलब्धियों एवं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जायेगा। तद्नुसार आगामी कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

11) जनपद में शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि एवं शैक्षिक वातावरण के निर्माण हेतु कार्यशाला, प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, प्रतियोगिता, बैठक, रैली के आयोजन में जिला परियोजना कार्यालय एवं राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार ए०आर०पी० एवं एस०आर०जी० द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

12) ए०आर०पी० की नियमित उपस्थिति सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उपरान्त उनके द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की गयी आख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

6. **क्षमता संवर्द्धनः-**

ए०आर०पी०, एस०आ०जी० (स्टेट रिसोर्स ग्रुप) एवं डायट मेण्टर के सतत् रूप से प्रोत्साहन, क्षमता संवर्द्धन एवं मार्गदर्शन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

1) **प्रशिक्षण कार्यकम**

'निपुण भारत मिशन' के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति, शिक्षकों को ऑनसाइट शैक्षिक सपोर्ट एवं शिक्षक-प्रशिक्षण संबंधी कार्ययोजना को कक्षा शिक्षण में लागू किये जाने के दृष्टिगत ए०आर०पी० एवं एस०आर०जी० को अकादमिक बिन्दुओं पर सीमैट, प्रयागराज में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तत्संबंधी सुसंगत निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा निर्गत किये जायेंगे ।

2) **जनपद स्तरीय कार्यशाला**

शैक्षणिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट एवं नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किये जाने तथा निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति के दृष्टिगत आगामी रणनीति के संबंध में विचार-विमर्श हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में प्रत्येक माह बैठक/कार्यशाला आयोजित की जायेगी। उक्त बैठक / कार्यशाला में जनपद के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन) भी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे। बैठक/कार्यशाला में एस०आर०जी० एवं ए०आर०पी० द्वारा क्रमशः जनपद एवं विकासखण्ड की प्रगति का एन०बी०एम०सी० से प्राप्त डेटा आधारित प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। तत्कम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एस०आर०जी० ए०आर०पी० एवं डायट मेण्टर को जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यकमों में सम्मानित किया जायेगा।

3) **राज्य स्तरीय सम्मेलन**

जनपदों में अभिनव प्रयोग करने वाले, निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत विशिष्ट वार्षिक लक्ष्यों को हासिल करने वाले तथा एन०बी०एम०सी० डैशबोर्ड का कुशल प्रयोग

Scanned with OKEN Scanner

करने वाले ए०आर०पी० एवं एस०आर०जी० द्वारा राज्य स्तरीय कार्यकमों में प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। तत्क्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन तथा प्रेरणादायी भूमिका निभाने वाले मेण्टर्स को राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सम्मानित किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के उपरान्तु श्रेष्ठ एवं अनुकरणीय, प्रयासों का राज्य स्तर से प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।

4) **शैक्षिक भ्रमण**

अकादमिक इनिशिएटिव एवं अभिनव प्रयासों के संबंध में मेण्टर्स को जागरूक किया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे उत्कृष्ट शैक्षिक प्रथाओं को अपने कार्यक्षेत्र में सम्यक रूप से लागू कर सकें। निपुण भारत मिशन' के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के दृष्टिगत सराहनीय कार्य करने वाले ए०आर०पी०, एस०आर०जी० एवं डायट मेण्टर्स के लिये समय-समय पर शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था की जायेगी। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा एस०आर०जी० ए०आर०पी० एवं डायट मेण्टर्स हेतु विशिष्ट वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा। तद्नुसार कार्यों का मूल्यांकन करते हुये शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मेण्टर्स को शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जायेगा।

5) **मोबिलिटी भत्ता :-**

विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समयबद्ध एवं प्रभावी संचालन हेतु निम्नलिखित दरों के अनुसार मोबिलिटी भत्ता का भुगतान किया जायेगा -

क्रम	पदनाम	दर (रु0 प्रतिमाह अधिकतम)
1	एस0आर0जी0	4500/-
2	ए0आर0पी0	4500/-
3	डायट मेण्टर	2000/-

निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पर्यवेक्षण / संदर्भदाता के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही वित्तीय नियमानुसार मोबिलिटी भत्ता का भुगतान किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में जिला परियोजना कार्यालय द्वारा आनुपातिक दरों पर नियमानुसार कटौती की जायेगी।

6) **टी०एल०एम० ग्राण्ट :-**

एस०आर०जी०, ए०आर०पी० एवं डायट मेन्टर द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान तथा शिक्षक संकुल बैठकों में स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री के बेहतर प्रयोग, आदर्श कक्षा-शिक्षण का संचालन एवं शिक्षकों को कम लागत और स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से एस०आर०जी० ए०आर०पी० एवं डायट मेन्टर द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु रू० 500/- (प्रतिमाह) की दर से धनराशि निर्गत की जायेगी।

7) **वित्तीय प्राविधान :-**

एस०आर०जी०, ए०आर०पी० एवं डायट मेण्ट के प्रशिक्षण, शैक्षिक भ्रमण, मोबिलिटी भत्ता एवं टी०एल०एम० संबंधी धनराशि (ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश को छोड़कर) का प्राविधान समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में

Scanned with OKEN Scanner

किया जायेगा। तत्संबंधी सुसंगत निर्देश एवं बजट राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by PARTHA SARTHI SENSHARMA
Date: 10-06-2026 10:22:37

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
(2) मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
(4) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0।
(5) सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
(6) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
(7) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
(8) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(वेद प्रकाश राय)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner